कार्यालय
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, दुमका (झारखण्ड)
(समेकित जनजाति विकास अभिकरण)
-:: इच्छा की अभिव्यक्ति ::-

वित्तीय वर्ष 2015–16 में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा SCA to TSP विशेष केन्द्रीय सहायता मद के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के विरूद्ध विमुक्त राशि में से दुमका जिला को राज्य सरकार द्वारा उपावंटित राशि मो0 257.99 लाख के योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सरकारी/गैर सरकारी संस्था एवं वैसी संस्थाओं जिन्हें रोजगार कार्यक्रम एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कार्य करने का विशेष अनुभव प्राप्त हो से पूर्ण विवरण के साथ दिनांक 23/09/2016 के अप0 03.00 बजे तक अपना प्रस्ताव/आवेदन समेकित जनजाति विकास अभिकरण कार्यालय, दुमका में समर्पित कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के उपरान्त अर्हताधारी संस्थाओं के साक्षात्कार के उपरान्त योग्य संस्था का चयन पारदर्शी तरीके से जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित आई0टी0डी0ए0 की कार्यकारिणी समिति (Governing Body) द्वारा किया जायेगा एवं उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में कार्यान्वित की जानेवाली योजनाओं को पूरा करने का भार सौंपा जायेगा। योजना कार्य पूर्ण करने की अवधि 12 माह की होगी।

उक्त निधि के अन्तर्गत की जानेवाली गतिविधियों एवं इसपर व्यय की जानेवाली राशि का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नवत हैं :–

क्र0	योजना का नाम	राशि (लाख में)
1	2	3
1	Irrigation and Sustainable Agriculture	76.93
2	Cash crop promotion among 3000 ST famllies	78.00
5	Fishery Development	46.14
6	Poultry Backyard	30.77
7	Training of STs for ANM/Nurses/Lab. Techincians	18.45
8	Training to ST students in Science, Math and English streams.	7.70
		257.99

संस्थाओं के प्रस्ताव के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण एवं अन्य संगत व जरूरी सूचनाएँ, नियम एवं शर्त दुमका जिला के वेबसाईट www.dumka.nic.in पर देखा जा सकता है या परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, दुमका के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता हैं।

7/9/16
उपायुक्त,
दुमका

नियम एवं शर्तें :–

1. गैर सरकारी संस्थाओं (एन0जी0ओ0) जो सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्त – 1860, ट्रस्ट अधिनियम – 1822, कम्पनीज अधिनियम 1958 के तहत निबंधित हो एवं सरकारी उपक्रम/निगम/निकास/कॉपरेटिव/समिति के अधीन लोकहित में कार्य कर रहे हो तथा जिसका निबंधन का तीन साल पूरा हो गया हो।
2. प्रस्ताव दाता का आयकर रिटर्न वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 का स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति तथा चार्टड एकाउण्टेन्ट का अंकेक्षण प्रतिवेदन/Balance Sheet संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. संस्था के पास वैतनिक/अवैतनिक/मानदेय पर कार्यरत तकनिकी एवं अन्य कर्मियों का विवरणी उनके योग्यता प्रमाण–पत्र की छाया प्रति कार्यानुभव के साथ संलग्न करना होगा।
4. संस्था का बायलॉज/स्मृति पत्र/नियमावली की सत्यापित प्रति एवं अन्य दस्तावेज संलग्न करना होगा। साथही प्रस्ताव के साथ INDEX संलग्न करना होगा।
5. टर्नओभर/मानव संसाधन एवं अनुभव के आधार पर सभी योग्य आवेदकों के अंकों का निर्धारण किया जायेगा, ताकि सुयोग्य संस्था का चयन किया जा सके।
6. गैर सरकारी संस्थाओं (एन0जी0ओ0) का ग्रामीण क्षेत्रों में पाँच परियोजनाओं में, खासकर आदिवासियों/आदिम जनजातियों के जीवन स्तर में उत्थान के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो तथा इस क्षेत्र में किए गए कार्य का कार्यादेश की छाया प्रति संलग्न करना होगा।
7. बैंक का नाम, खाता संख्या, संचालकों का नाम, पदनाम एवं बैंक गारंटी का विवरण।
8. संस्था के चल–अचल सम्पति का पूर्ण ब्यौरा।
9. संस्था का निबंधन कार्यालय, स्थानीय शाखा कार्यालय आदि का पूरा पता, फोन नं0, फैक्स नं0, पैन/टैन नंबर के साथ।
10. संस्था किसी भी एजेन्सी दाता या सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है, के आशय का शपथ–पत्र।
11. पाँच (05) लाख से ज्यादा की योजनाओं के लिए संस्था का वार्षिक टर्नओभर 10.00 (दस) लाख रू0 होना अनिवार्य हैं।
12. दुमका जिला के गैर सरकारी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।
13. आई0टी0डी0ए0, दुमका से विगत वर्षों में आवंटित किये गये कार्यों को सम्पादित कर चुके गैर सरकारी संस्थाओं को भी प्राथमिकता दी जायगी।
14. अधूरे/अस्पष्ट तथा निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

अन्यान्य :–

1. Income Tax Act – 1961 की Sec. 12A, 12AA एवं Sec. 80GGA में निबंधित संस्था को प्राथमिकता दी जायेगी। इस हेतु इस संबंध में सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना होगा।
3. विशेष जानकारी के लिए परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, दुमका से कार्यावधि में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा दुमका जिला के वेबसाईट www.dumka.nic.in पर देखा जा सकता हैं।
4. किसी भी प्रकार के वैधानिक दावे का निष्पादन दुमका जिला क्षेत्राधीन न्यायालय में निष्पादित होगा।
5. Livelihood Training से संबंधित क्षेत्र के NSDC/NCVT से संबंधित संस्थाओं को प्राथमिकता दिया जाएगा।

7/9/16
उपायुक्त,
दुमका

ज्ञापांक 564 /दुमका, दिनांक 9/9/16

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि जिला के website www.dumka.nic.in पर प्रकाशित करने की कृपा करेंगे।

7/9/16
उपायुक्त,
दुमका

कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार

परियोजना निदेशक का कार्यालय

समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण, दुमका

अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या ...19........../2016

1. विज्ञापन दाता का नाम :– परियोजना निदेशक, समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण, दुमका
2. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि एवं समय :– दिनांक 22.09.2016 को 3.00 बजे अप0 तक
3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय :– दिनांक 23.09.2016 को 3.00 बजे अप0 तक
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :– दिनांक 23.09.2016 को 3.30 बजे अप0
5. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान :– नगर थाना, दुमका
6. निविदा प्राप्ति का स्थान :– नगर थाना, दुमका
7. कार्य की विवरणी :–

क्र0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	परिमाण विपत्र	अग्रधन की राशि	कार्य समाप्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	50 शैय्या अ0ज0जा0 छात्रावास सरायदाहा, शिकारीपाड़ा का निर्माण कार्य।	71,83,100.00	10,000.00	1,43,700.00	फरवरी 2017
1	दिवाकालिन प्रा0 विद्यालय कुण्डापहाड़ी गोपीकान्दर में 25 शैय्या बालक छात्रावास निर्माण।	50,00,000.00	5,000.00	1,00,000.00	फरवरी 2017
2	दिवाकालीन प्र0 विद्यालय सिदपहाड़ी गोपकान्दर में 25 शैय्या बालक छात्रावास निर्माण कार्य।	50,00,000.00	5,000.00	1,00,000.00	फरवरी 2017

नोट :– निविदा की आवश्यक शर्तें आई0टी0डी0ए0, दुमका कार्यालय के सूचना पट्ट पर एवं जिला के **www.dumka.nic.in** बेवसाईट पर भी देखा जा सकता हैं।

8/9/16

परियोजना निदेशक,
समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण,
दुमका

निविदा की शर्त्तें :–

1. वर्णित कार्यों के लिए मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती हैं।
2. प्राक्कलित राशि घट बढ़ सकती है, तदनुसार अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्त्तन हो सकता है।
3. निविदाकारों को भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड में समुचित श्रेणी में पंजीकृत होना अनिवार्य है। समुचित श्रेणी अथवा समुचित श्रेणी से एक श्रेणी ऊपर निबंधित संवेदक ही निविदा में भाग ले सकते हैं।
4. परिमाण विपत्र प्राप्त करते समय निविदाकारों को अद्यतन निबंधन एवं चरित्र प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रतियॉ, आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसका सत्यापन मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने के पश्चात ही परिमाण विपत्र निर्गत किया जायेगा। बाद में किसी प्रकार का प्रमाण–पत्र समर्पित करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा एवं उनकी निविदा रद्द कर दी जाएगी। आरोपी संवेदक की निविदा अमान्य कर दी जाएगी।
5. निविदाकारों द्वारा निविदा डालते समय अद्यतन निबंधन, चरित्र प्रमाण पत्र आयकर एवं वाणिज्यकर सफाया प्रमाण पत्र, पेन नम्बर की छाया प्रतियॉ जो राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा उनके निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने अथवा एक से अधिक संवेदक के बीच कार्य को बाँटने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
7. सशर्त्त निविदा मान्य नहीं होगा।
8. अग्रधन राशि परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, दुमका के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञप्ति कर राष्ट्रीयकृत बैंक एफ0डी0/एन0एस0सी0 के रूप में जमा करना होगा।
9. परिमाण विपत्र का मूल्य परिमाण में अंकित राशि के अनुसार आवेदन के साथ बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के रूप में अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से प्रतिज्ञप्ति होगा एवं अदायगी पर (जो लौटाया नहीं जाएगा) परिमाण विपत्र निर्गत किया जाएगा। बैंकर्स चेक भारतीय स्टेट बैंक, दुमका के मुख्य शाखा में भुगतेय होगा।
10. संवेदक को कार्य प्रोग्राम (Work Plan) देना अनिवार्य होगा।
11. सरकार द्वारा दी गई वर्त्तमान/तत्काल प्रभावी मजदूरी दर भुगतान करना अनिवार्य होगा।
12. निविदादाता को अपना दर शब्दों एवं अंको में दर्ज करना होगा एवं निविदा दाता द्वारा परिमाण विपत्र में अंकित दर से 10 प्रतिशत की कम सीमा से आगे उदघृत कम दर मान्य नहीं होगा।
13. कार्यस्थल पर निर्माण सामग्री यथा सीमेंट (लाफार्ज एवं ए0सी0सी0) छड़, (सेल या टाटा टिस्कॉन) चिप्स, ईट, बालू आदि का गुणवत्ता प्रमाण–पत्र के साथ कार्यस्थल पर संवेदक को स्वयं आपूर्त्ति करनी होगी एवं उनका रख–रखाव तथा व्यवस्था संवेदक को निजी खर्च पर वहन करना होगा।
14. परिमाण विपत्र क्रय करने के लिए निबंधित संवेदक या उनके द्वारा प्राधिकृत सिर्फ एक व्यक्ति ही कार्यालय में उपस्थित होगें।
15. निविदा डालने से पूर्व निविदाकार कार्य स्थल का निरीक्षण कर एवं निर्माण सामग्रियों के स्त्रोंतो की जानकारी प्राप्त कर संतुष्ट हो लेंगे साथ ही प्राक्कलन पढ़कर, दर तथा स्थल पर जमीन की उपलब्धता के बारे में संतुष्ट होकर ही निविदा डालेंगे।
16. गुण नियंत्रण प्रतिवेदन संवेदक को अपने खर्च पर स्वयं समर्पित करना होगा।
17. श्रमिक उपकर के रूप में किये गये कार्य के विपत्र से नियमानुसार बिक्री कर, आयकर, श्रमिक उपकर (लेबर सेस), रॉयल्टी एवं खाली बोरा का मूल्य आदि की कटौती विपत्र से की जायेगी।
18. वैसे संवेदक निविदा में भाग नहीं लेंगे जिनका किसी प्रकार का किसी भी विभाग के साथ धोखा–धड़ी का मामला या अन्य कानूनी कार्रवाई लंबित होगा। इस आशय का उन्हें शपथपत्र देना होगा।
19. कार्य आवंटन के पन्द्रह दिनों के अंदर संवेदक को एकरारनामा करना अनिवार्य होगा, साथ ही कार्य ससमय पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
20. वित्त विभाग झारखण्ड, राँची के संकल्प/आदेशों को अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7/7/16

परियोजना निदेशक,
समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण,
दुमका

ज्ञापांक 563 /आई0टी0डी0ए0, दुमका, दिनांक 9/9/16

प्रतिलिपि :– स्थानीय सम्पादक, हिन्दुस्तान/प्रभात खबर को निविदा आमंत्रण सूचना का हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि वे संथाल परगना प्रमंडल में प्रकाशित होने वाले अपने संस्करण में इस आशय की सूचना का प्रकाशन DAVP दर पर 12 x 12 वर्ग सें0 मीटर करेंगे। कार्यालय में विपत्र समर्पित करने के उपरान्त इसकी भुगतान की जायेगी।

9/9/16

परियोजना निदेशक,
समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण,
दुमका

ज्ञापांक 563 /आई0टी0डी0ए0, दुमका, दिनांक 9/9/16

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशानुसार कहना है कि निविदा की विवरणी को अपने जिला के बेवसाईट www.dumka.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।

9/9/16

परियोजना निदेशक,
समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण,
दुमका

9/11/16